

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024 / 159

दायरा तिथि : 09.05.2024

आदेश तिथि : 30-09-2024

प्रार्थी :-

श्री मदनलाल पुत्र दानाराम जाति मेघवाल, निवासी नाना तहसील बाली, जिला पाली (राज.)

ब नाम

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 30-09-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 2394 रकबा 1.0400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 2393 रकबा 0.7200 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/995 दिनांक 16.07.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 2393 रकबा 1.0400 हैक्टर में कटान मार्ग खसरा नंबर 717 से आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता ही इकलौता स्रोत है। अन्य कोई विकल्प राजस्व रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

यह है कि प्रस्तावित रास्ता कटान मार्ग से निकटतम है।

यह है कि मौके पर रास्ता प्रचलित है एवं इसी मार्ग से आवागमन होता है।

यह है कि ग्राम नाना में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल वर्गमीटर	नाम खातेदार
1	2393	0.7200 हैक्टर	बारानी दायम	24x9.14=219.36 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

5. यह कि भू.अ. निरीक्षक नाना की जांच रिपोर्टनुसार प्रस्तावित भूमि के खसरे की डी.एल.सी. दर 3.13,364 रु/- रुपये प्रति हैक्टर है।

6. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण, ढाणी या पुराना वृक्ष नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंसा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार.....02

// 02 //
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024 / 159
 अनवान मदनलाल बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 2394 रकबा 1.0400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/995 दिनांक 16.07.2024 से नया रेकर्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (गुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (गुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 2394 रकबा 1.0400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि नाना पटवार हल्का नाना तहसील बाली के खसरा नंबर 2393 रकबा 0.7200 हैक्टर में से 220 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 3.13,364 /-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2393	0.7200 हैक्टर	24x09=216 वर्गमीटर	32	6912X2=13824	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नहीं होने से उक्तानुसार राशि 13824/- (अक्षरे तेरह हजार आठ सौ चौबीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू-अभि. नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक/दिनांक / 2024 / 2077 - 2081
 प्रतिनिधि निर्दिष्ट को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 नाना
3. पटवारी हल्का, नाना
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री मदनलाल पुत्र दानाराम जाति मेघवाल, निवासी नाना तहसील बाली, जिला पाली (राज.)को सूचनार्थ।

(दिपिकरिनाई)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, बाली
 दिनांक : 01.10.2024

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, बाली

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA


खसरा नक्शा एवं जमावदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 20/03/2024 12:31:13 PM

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : नाना

ग्राम : नाना



खसरा संख्या : 2393 क्षेत्रफल : 0.7200 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 1
 भूमि किस्म [क्षेत्रफल लगान] : बारानी दोयम [0.7200]
 राज. सरकार

ICR नाना

रोहित सिंह
 सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर (भू. अ. नि. अ.)
 पटवार मण्डल.....
 तहसील-बाली, जिला-पाली (राज.)

तहसीलदार, बाली

- नोट :-
1. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
 2. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष के रूप में नहीं किया जा सकता है।
 3. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null